न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 137 / 2025

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........प्रार्थी

बनाम

1. श्री शिवलाल पुत्र श्री पन्नाराम, मैसर्स श्री श्री यादे स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट, बाईपास रोड, सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर। (वर्कर)
2. श्री कमल प्रजापत पुत्र श्री श्रवणलाल प्रजापत, सदर बाजार, सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर (विक्रेता)
3. मैसर्स श्री श्री यादे स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट, बाईपास रोड, सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर।

........अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री बी एस शेखावत

–: आदेश :–

दिनांक – 01.04.2026

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक / क–4 / 08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) बर्फी (मावा मिठाई) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, मौका फर्द, प्रपत्र 5ए, कैश मीमो, प्रपत्र 6 की जमा करवाने की प्रति, विक्रेता को दिया गया नोटिस, जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अभियोजन स्वीकृति बाबत पत्र, अभियोजन स्वीकृत पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.08.2025 को 01:00 पीएम पर मैसर्स श्री श्री यादे स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट, बाईपास रोड, सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री शिवलाल मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो उसके पास मौके पर उपलब्ध था।खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय एक स्टील की ट्रे में लगभग

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

10 किलोग्राम बर्फी (मावा मिठाई) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ मिला।उक्त बर्फी (मावा मिठाई) में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 02 किलोग्राम बर्फी (मावा मिठाई) रू. 700/– रूपयें श्री शिवलाल को नगद देकर गवाह श्री राजेश त्रिपाठी के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री शिवलाल को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा बर्फी (मावा मिठाई) को चार साफ, खुली प्लास्टिक की बोतल में बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक बोतल में 40–40 बूंद फार्मेलीन की डालकर एयर टाइट ढक्कन लगाकर चार नमूने तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–5158 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/7473 दिनांक 11.09.2025 के संलग्न प्राप्त खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1080/एक्ट/2025/1100 दिनांक 21.08.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया बर्फी (मावा मिठाई) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा नमूने की पुनः जाँच हेतु अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 29.12.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 29.12.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को अप्रार्थीगण की ओर से वकील अप्रार्थी ने उपस्थित होकर मौखिक प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया एवं बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। उन्होने निवेदन किया कि जाँच में अप्रार्थीगण की दुकान से लिया गया बर्फी (मावा मिठाई) का नमूना अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित नियमों की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण उक्त कृत्य हुआ है। वर्तमान में अप्रार्थीगण द्वारा उत्तम गुणवत्ता का खाद्य पदार्थ ही विक्रय किया जा रहा है। अतः कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण करवाये।

हमने लिखित प्रत्युत्तर, पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया एवं बहस में वर्णित तथ्यों पर मनन किया।।खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद के संलग्न खाद्य विश्लेषक अजमेर की जाँच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया बर्फी (मावा मिठाई) मे BR Reading. RV of extracted fat निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (फूड प्रोडक्टस स्टेण्डर्डस एण्ड फूड एडिटिवस) मानक 2011 के मानक संख्या 2.1.8 के अनुसार नहीं होने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(a)(zx) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्यपदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

किया हुआ अतः अप्रार्थी को न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर कुल रू. **10,000/– (दस हजार)** शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 01.04.2026 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 01.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर
सत्यमेव जयते

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2026/1469-74 दिनांक : 13.04.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री शिवलाल पुत्र श्री पन्नाराम, मैसर्स श्री श्री यादे स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट, बाईपास रोड, सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर। (वर्कर)
5. श्री कमल प्रजापत पुत्र श्री श्रवणलाल प्रजापत, सदर बाजार, सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर (विक्रेता)
6. मैसर्स श्री श्री यादे स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट, बाईपास रोड, सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर
सत्यमेव जयते

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर